

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक 10 (4) चिस्वा/2/2019

जयपुर, दिनांक: 17.1.19

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 21204/2018 में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2018 की पाठाना में डॉ. जवाहर सिंह सैनी, चिकित्सा अधिकारी (दंत) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशलगढ, जिला-बांसवाड़ा जो कि आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस से पीजी कर रहे हैं, को शेष रही पीजी कोर्स को पूर्ण करने हेतु कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

६०

(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज., जयपुर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. डॉ. जवाहर सिंह सैनी, चिकित्सा अधिकारी जरिये निदेशक (जन. स्वा.)।
3. कम्प्यूटर सैल/रक्षित पत्रावली

(ओ.पी. वर्मा)

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।  
क्रमांक : ई/चिअ/जे- 782पार्ट /2019/ 1490 दिनांक 24/01/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधानाचार्य, आरयूएचएस कालेज आफ डेंटल साईंस जयपुर ।
2. उप विधी परामर्शी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि एस0बी0सि0रि0पिटिशन संख्या 21204/18 में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2018 की पालना में ।
3. सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-उदयपुर/जयपुर
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा ।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुशलगढ बासवाडा ।
6. डॉ० जवाहर सिंह सैनी, चिकित्सा अधिकारी (दन्त) को पालनार्थ ।
7. प्रभारी अधिकारी, सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि सम्बन्धित अधिकारी की मेल आईडी पर अपलोड करावें।
8. रक्षित/निजी पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक (रजपात्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।